



छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य सर्विलेंस इकाई

website: www.cghealth.nic.in

Corona Helpline -

Email: idspsucg@rediffmail.com

दैनिक प्रेस विज्ञप्ति - 15 मार्च 2020

- ❖ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) को महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है | WHO जारी आकड़ों के अनुसार अभी तक विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 142539 प्रकरण की पुष्टि हुई है और 135 देश प्रभावित हैं |
- ❖ भारत में अभी कुल कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 90 प्रकरण की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें 17 व्यक्ति विदेशी नागरिक हैं |
- ❖ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं है | अभी तक कोरोना प्रभावित देश की यात्रा कर आने वाले कुल 76 व्यक्तियों की लेब में सैंपल जांच हेतु भेजा गया है, जिसमें 66 सैंपल का परिणाम नेगेटिव है, 06 परिणाम अप्राप्त हैं और 07 व्यक्ति के सैंपल परिक्षण के ICMR मानदंड में नहीं आने के कारण जांच नहीं किया गया |
- ❖ आज दिनांक 15.03.2020 को कुल 03 नए सैंपल का परिणाम आया है जिसमें सभी नेगेटिव हैं | वर्तमान में सभी व्यक्तियों की सतत निगरानी कर होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य समीक्षा की जा रही है |

| जिला | कुल सैंपल | परिणाम | होम आइसोलेशन | सर्विलेंस पूर्ण |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| दुर्ग | 9 | 09 निगेटिव | 3 | 6 |
| रायपुर | 45 | 44 निगेटिव, 01 उपयुक्त नहीं | 34 | 11 |
| कोंडागांव | 3 | 03 निगेटिव | 0 | 3 |
| रायगढ़ | 2 | 02 निगेटिव | 0 | 2 |
| सरगुजा | 4 | 02 निगेटिव, 02 अप्राप्त | 2 | 2 |
| सूरजपुर | 2 | 02 निगेटिव | 2 | 0 |
| जांजगीर | 2 | 02 उपयुक्त नहीं | 0 | 2 |
| बिलासपुर | 3 | 01 निगेटिव, 02 उपयुक्त नहीं | 3 | 0 |
| दंतेवाड़ा | 1 | 01 निगेटिव | 1 | 0 |
| बलोदा बाज़ार | 2 | 01 निगेटिव, 1 अप्राप्त | 2 | 0 |

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------|-----------|
| राजनांदगांव | 2 | 02 उपयुक्त नहीं | 2 | 0 |
| सुकमा | 1 | 01 निगेटिव | 1 | 0 |
| जगदलपुर | 3 | 03 अप्राप्त | 3 | 0 |
| कुल | 79 | 66 नेगेटिव, 06 अप्राप्त, 07 उपयुक्त नहीं | 53 | 26 |

- ❖ सचिव छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कण्ट्रोल एंड कमांड सेण्टर, रायपुर में राज्य स्तरीय कोर कमिटी की बैठक दिनांक 14/03/20 को सुबह 10.30 बजे की गयी जिसमे कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गये।
- ❖ सचिव छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार COVID19 से बचाव की तैयारियों हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपसंचालक एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारियों को COVID19 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्य, क्वारंटेन केंद्र की स्थापना, होम आइसोलेशन, अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड, माना अस्पताल में 60 बिस्तर का आइसोलेशन अस्पताल, सर्वेलेस, सैंपल जांच एम्बुलेस प्रोटोकॉल एवं मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नामित कर कार्य आबंटन आवश्यक तैयारियों हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ राज्य में क्वारंटेन केंद्र की स्थापना हेतु निमोरा स्थित – ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान तथा नया रायपुर स्थित ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, झांझ, सेक्टर 24 को चिन्हित किया गया है।
- ❖ छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नावेल कोरोना वायरस (COVID19) संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को “छ.ग. पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949” की धारा 71 की उप-धारा (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार प्रदत्त किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 13.मार्च .2020 जारी किये गये हैं।
- ❖ छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा “Epidemic Disease Act 1897” की धारा 2,3,4 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID19) से बचाव हेतु “Chhattisgarh Epidemic Disease (COVID19) Regulation 2019” जारी किये गए हैं। जिसके अंतर्गत संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर को इन नियमों को लागू करने हेतु समस्त अधिकार दिए गये हैं।

- ❖ राज्य शासन ने निर्णय लेते हुए प्रदेश में सभी सिनेमा घर 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिम एवं स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे।
- ❖ माननीय मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा आज दिनांक 15/03/2020 को कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए गए।
- ❖ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु तैयारियों का आकलन करने हेतु समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में दिनांक 16/03/2020 को मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया है।
- ❖ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा –COVID19 के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं –
 1. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सावधानियां
 2. आम-जन द्वारा मास्क उपयोग हेतु दिशानिर्देश
 3. क्वारंटेन केंद्र की स्थापना हेतु दिशानिर्देश
 4. होम आइसोलेशन हेतु दिशा-निर्देश
 5. COVID19 संक्रमण की संभावना वाले यात्रियों/व्यक्तियों के मैनेजमेंट सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश

विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के वर्तमान स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी निवासियों को विदेश यात्रा में नहीं जाने की और साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

राज्य सर्वेलेंस अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
छ.ग.

15 मार्च 2020
